राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

प. 8(2)वित्त/नियम/2014 जयपुर, दिनांक 18.08.2020

<u>परिपत्र</u>

विषयः– वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी नियमों पर राय/विवेचन, सेवा नियमों में संशोधन, नियमों में शिथिलन एवं न्यायिक निर्णयों से सम्बन्धित प्रकरणों के परीक्षण सम्बन्धी पत्रावलियों को वित्त (नियम) विभाग में प्रेषित करने हेतु प्रक्रिया।

वित्त (नियम) विभाग को पत्रावलियाँ संदर्भित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश

1. वित्त (नियम) विभाग में सामान्यतः निम्न विषयों के सम्बन्ध में पत्रावलियाँ प्राप्त होती हैं:–
   (1) नियमों पर राय/विवेचन संबंधी सामान्य प्रकरणों का परीक्षण
   (2) नियमों में शिथिलन संबंधी प्रस्ताव
   (3) सेवा नियमों में संशोधन से संबंधित प्रकरण
   (4) न्यायिक निर्णयों से संबंधित प्रकरणों का परीक्षण एवं न्यायिक निर्णयों की पालना

2. पूर्व में वित्त (समन्वय) विभाग के परिपत्र दिनांक 17.06.2009 एवं वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमशः दिनांक 24.04.2015, 19.02.2016 एवं 29.07.2016 के द्वारा वित्त (नियम) विभाग में पत्रावली प्रेषित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही प्रशासनिक विभाग से यह भी अनुरोध किया गया है कि जिन प्रकरणों में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है वे प्रकरण अनावश्यक रूप से वित्त विभाग को संदर्भित नहीं किये जावें। इसके उपरान्त भी यह देखा गया है कि पत्रावलियाँ जिनमें आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्त विभाग की सहमति आवश्यक नहीं है तथा नियमानुसार प्रशासनिक विभाग सक्षम है, वे पत्रावलियाँ भी वित्त विभाग को प्रेषित की जाती हैं।

3. यह भी देखा गया है कि लगभग 75 % पत्रावलियों में विभाग में पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त किये बिना

पत्रावलियाँ वित्त (नियम) विभाग को संदर्भित की जाती हैं, जबकि विभाग को उक्त अधिकारी से प्रकरण पर राय लेना अनिवार्य है ताकि कुछ प्रकरण वहीं निष्पादित हो सकें या प्रस्ताव पर विभाग की उचित टिप्पणी प्राप्त हो सके, एवं पत्रावलियों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो तथा न्यायिक प्रकरणों में न्यायालय निर्णय की समय पर पालना नहीं होने से अवमानना की स्थिति ना बने।

4. अतः पूर्व में जारी परिपत्रों के क्रम में समस्त प्रशासनिक विभाग से पुनः अनुरोध है कि जिन प्रकरणों में प्रशासनिक विभाग कार्यवाही हेतु स्वयं के स्तर पर सक्षम हैं उन पर निम्न संदर्भित परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अन्य प्रकरणों में पत्रावलियाँ निम्न सारिणी का उपयोग करते हुये वित्त (नियम) विभाग को प्रेषित की जायें:—

क्र. सं.	विषय	चैक लिस्ट / परिपत्र (Click to download)
1	वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी किये गये नियमों पर राय / विवेचन संबंधी सामान्य प्रकरण	*चैक लिस्ट—1*
2	वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी नियमों के प्रावधानों में शिथिलन संबंधी प्रस्ताव	*चैक लिस्ट—2*
3	सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव	*चैक लिस्ट—3*
4	न्यायिक प्रकरण एवं न्यायिक निर्णय की पालना संबंधी पत्रावलियाँ	*चैक लिस्ट—4*
5	न्यायिक निर्णयों की पालना के संबंध में दिशा—निर्देश	*परिपत्र क्रमांक प. 8(2)वित्त / नियम / 2014 दिनांक 24.04.2015*
6	सेवानिवृत्ति परिलाभों के विलम्ब से भुगतान करने पर विलम्बित अवधि पर देय ब्याज का भुगतान	*परिपत्र क्रमांक प. 12(2)वित्त / नियम / 2012 दिनांक 29.07.2016*
7	औद्योगिक विवाद अधिनियम—1947 से संबंधित न्यायिक निर्णयों की पालना	*परिपत्र क्रमांक प. 14(5)वित्त / नियम / 2006 दिनांक 19.02.2016*

5. **प्रकरण वित्त (नियम) विभाग को प्रेषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि पत्रावली के साथ संबंधित चैक—लिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज एवं तथ्यपरक सूचना आवश्यक रूप से संलग्न हैं। उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना में पत्रावलियाँ स्वीकार नहीं की जायेंगीं।**

6. समस्त प्रशासनिक विभाग से आग्रह है कि वे उनके अधीन समस्त विभागों एवं अधिकारियों को उक्तानुसार प्रकरणों का निस्तारण करने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करावें।

(निरंजन कुमार आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग।
5. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

JPD/Rules- 1350

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CIN: U40109RJ2000SGC016486
(A Government of Rajasthan Undertaking)
Office: Room no. 3, Old Power House Premises, Near Ram Mandir, Banipark, Jaipur- 302006. Email: caoia@jvvnl.org / Website: http://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl

"प्रभासि शशि सूर्ययो"

No. JPD/CAO(IA)/AAO/Rules/F.103/ D. 4537 Jaipur, dated: - 29/12/2020

Copy submitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control: -

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer ( ), JPD,________
2. The Chief Controller of Accounts/Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur
3. The Dy. Chief Engineer ( ), JPD,________
4. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ R&B) JPD, Jaipur.
5. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.

6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
7. The Sr. Accounts Officer ( )/ Dy. Director of Personnel ( ), JPD,______
8. The Superintending Engineer ( ), JPD, _________
9. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
10. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer ( ), JPD, _______
11. T.A. to MD, JVVNL, Jaipur.
12. P.A to the Accountant General (Audit-II), O/o AG Rajasthan, Jaipur.
13. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.

(Dr. R.P.Gupta)
Chief Accounts Officer (IA)

Note: - Orders issued *under JPD/Rules are also available on the website of Jaipur Discom.*

चैक लिस्ट–1

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी नियमों पर राय/विवेचन संबंधी सामान्य प्रकरणों के परीक्षण बाबत्

क्र. सं.	विवरण
1.	विभाग का नाम
2.	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण : (i) विवादित बिन्दु का तिथिवार तथ्यात्मक विवरण मय संबंधित अभिलेख **पृष्ठांकन सहित** (ii) कर्मचारी द्वारा चाहे गये अनुतोष (relief) का विवरण (iii) उक्त अनुतोष किन नियमों के अन्तर्गत देय नहीं है, नियमों का पूर्ण उल्लेख।
3.	उक्त अनुतोष समकक्ष (similarly situated) अन्य कर्मचारियों को दिया गया है अथवा नहीं? यदि दिया गया है तो कारण सहित पूर्ण तथ्यात्मक टिप्पणी।
4.	विभाग के लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी की नियमों के परिप्रेक्ष्य में स्वपूरक टिप्पणी।
5.	यदि प्रकरण भर्ती नियमों अथवा सीसीए नियमों से संबंधित हो तो कार्मिक विभाग की राय।
6.	वांछित लाभ स्वीकार करने पर वित्तीय भार (आवर्तक एवं अनावर्तक) तथा समकक्ष अन्य प्रकरणों पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय भार (आवर्तक एवं अनावर्तक) का उल्लेख विभाग के लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी के अनुमोदन सहित।
7.	वित्त (नियम) विभाग से किस नियम के किस बिन्दु विशेष पर राय/विवेचन अपेक्षित है उस पर प्रशासनिक विभाग की स्पष्ट अनुशंसा (शासन सचिव स्तर से)।
8.	अन्य विवरण यदि कोई हो।

हस्ताक्षर

विभाग में पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी

विभागाध्यक्ष/ शासन सचिव

चैक लिस्ट–2

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी नियमों में शिथिलन के प्रस्ताव

क्र. सं.	विवरण
1.	विभाग का नाम
2.	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण : (i) विवादित बिन्दु का तिथिवार तथ्यात्मक विवरण मय संबंधित अभिलेख **पृष्ठांकन सहित** (ii) कर्मचारी द्वारा चाहे गये अनुतोष (relief) का विवरण (iii) उक्त अनुतोष किन नियमों के अन्तर्गत देय नहीं है, नियमों का पूर्ण उल्लेख। (iv) यदि विद्यमान नियमों के प्रावधान अन्तर्गत अनुतोष (यथा चिकित्सा पुनर्भरण, यात्रा भत्ता भुगतान आदि) आंशिक रूप से देय है तो नियमानुसार भुगतान योग्य राशि एवं नियमों में शिथिलन द्वारा देय राशि के संबंध में स्पष्ट तथ्यपरक टिप्पणी।
3.	उक्त अनुतोष समकक्ष (similarly situated) अन्य कर्मचारियों को दिया गया है अथवा नहीं? यदि दिया गया है तो कारण सहित पूर्ण तथ्यात्मक टिप्पणी।
4.	विभाग के लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी की नियमों के परिप्रेक्ष्य में स्वपूरक टिप्पणी।
5.	वांछित लाभ स्वीकार करने पर वित्तीय भार (आवर्तक एवं अनावर्तक) तथा समकक्ष अन्य प्रकरणों पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय भार (आवर्तक एवं अनावर्तक) का उल्लेख विभाग के लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी के अनुमोदन सहित।
6.	नियमों में शिथिलन संबंधी प्रस्ताव पर प्रशासनिक विभाग की औचित्यपूर्ण स्पष्ट अनुशंसा (शासन सचिव स्तर से)।
7.	अन्य विवरण यदि कोई हो।

हस्ताक्षर

विभाग में पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी

विभागाध्यक्ष/ शासन सचिव

चैक लिस्ट–3

सेवा नियमों में संशोधन से संबंधित प्रकरणों के परीक्षण बाबत्

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>विभाग का नाम</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>संबंधित नियमों का नाम एवं संबंधित नियम जिसमें संशोधन अपेक्षित है, का उल्लेख मय संक्षिप्त विवरण।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>विद्यमान नियम एवं प्रस्तावित नियम का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रारूप में:–
<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>सेवा नियमों में वर्तमान प्रावधान</th><th>प्रस्तावित संशोधन का प्रारूप</th><th>प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् नियमों की परिवर्तित स्थिति</th><th>प्रस्तावित संशोधनों का पूर्ण औचित्य</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा/टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>प्रस्ताव पर कार्मिक/विधि विभाग की अनुशंसा/टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>प्रस्तावित संशोधन से पड़ने वाले वित्तीय भार का उल्लेख विभाग के लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी के अनुमोदन सहित</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>प्रस्तावित संशोधन से किस सेवा/संवर्ग के कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे, तथा उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रस्तावित संशोधन से होने वाले लाभों का विवरण</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>अन्य विवरण यदि कोई हो।</td></tr>
</table>

हस्ताक्षर

विभाग में पदस्थापित राजस्थान
लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम
अधिकारी

विभागाध्यक्ष/
शासन सचिव

चैक लिस्ट–4

न्यायिक प्रकरण एवं न्यायिक निर्णयों की पालना संबंधी पत्रावलियाँ

क्र. सं.	विवरण
1.	विभाग का नाम
2.	न्यायिक प्रकरण का विवरण (i) केस नम्बर (ii) केस का टाइटल (iii) न्यायालय का नाम (iv) निर्णय दिनांक
3.	प्रकरण का तथ्यात्मक दिनांकवार विवरण मय सम्बन्धित अभिलेख (Chronological details of facts and Events of the case/ Subject matter of the case)

Date	Particulars (With all the details)	Annexure/Page No.

क्र. सं.	विवरण
4.	याची द्वारा वांछित अनुतोष (Relief) का विवरण– 1. वाद/रिट की प्रति पृष्ठांकन सहित 2. जवाबदावा पृष्ठांकन सहित
5.	न्यायिक प्रकरण से संबंधित अधिनियम /नियम /अधिसूचना /आदेश/परिपत्र / दिशा–निर्देश एवं प्रासंगिक निर्णय का विवरण।

S.N.	Particulars (With all the details)	Annexure/Page No.

याची द्वारा वांछित अनुतोष किस नियम के अन्तर्गत देय नहीं है।

क्र. सं.	विवरण
6.	प्रथम न्यायालय के निर्णय का विवरण

Date of Judgment	Court Verdict (With actual details and Legal findings)	Annexure/Page No.

क्र. सं.	विवरण
7.	द्वितीय न्यायालय के निर्णय का विवरण

Date of Judgment	Court Verdict (With actual details and Legal findings)	Annexure/Page No.

क्र. सं.	विवरण
8.	तृतीय न्यायालय के निर्णय का विवरण

Date of Judgment	Court Verdict (With actual details and Legal findings)	Annexure/Page No.

<table>
<tr><td>9.</td><td>न्यायिक निर्णय के विरूद्ध अपील/नो-अपील के सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर लिये निर्णय की सूचना।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>निर्णय के विरूद्ध यदि कोई रिट, अपील अथवा SLP दायर की गई हो तो उसकी वर्तमान स्थिति तथा स्थगन प्राप्ति हेतु किये गये प्रयास का विवरण।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>यदि अवमानना याचिका दायर हुई हो तो अवमानना याचिका अनुसार प्रथम पेशी तिथि एवं आगामी पेशी तिथि का उल्लेख एवं इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>याची से सम्बन्धित पूर्व वादकरण एवं उसके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही (यदि कोई हो)
<table>
<tr><th>Date of Judgment</th><th>Court Verdict (With actual details and Legal findings)</th><th>Annexure/Page No.</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>समान प्रकृति का वादकरण एवं उसके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही (यदि कोई हो)
<table>
<tr><th>Date of Judgment</th><th>Court Verdict (With actual details and Legal findings)</th><th>Annexure/Page No.</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
निर्णय के विरूद्ध अपील करने अथवा नहीं करने के प्रशासनिक निर्णय का उल्लेख।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>उक्त निर्णय अनुसार अनुतोष समकक्ष (similarly situated) अन्य कर्मचारियों को दिया गया है अथवा नहीं? यदि दिया गया है तो कारण सहित पूर्ण तथ्यात्मक टिप्पणी।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>निर्णय की पालना में दिया जाने वाला अनुतोष किस नियम अन्तर्गत देय नहीं हैं। उक्त लाभ के संबंध में संबंधित नियम के किस बिन्दु पर वित्त विभाग की सहमति/राय/विवेचन अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>निर्णय की पालना के सम्बन्ध में विभाग में पदस्थापित लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी की नियमों के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>निर्णय की पालना के संबंध में वित्तीय भार (आवर्तक एवं अनावर्तक) तथा समकक्ष अन्य प्रकरणों पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय भार (आवर्तक एवं अनावर्तक) का उल्लेख विभाग के लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी के अनुमोदन सहित</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>उक्त निर्णय का प्रभाव अन्य समकक्ष कर्मचारियों पर पडेगा अथवा नहीं?</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा (शासन सचिव स्तर से)</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>अन्य विवरण यदि कोई हो।</td></tr>
</table>

हस्ताक्षर

विभाग में पदस्थापित राजस्थान
लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम
अधिकारी

विभागाध्यक्ष/
शासन सचिव